राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भेरु राम बनाम रतन लाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (1535/2025)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 04/02/2025 को पेश हो।	
04/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/06/2020 पारित करते हुये अप्रार्थी/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 409/0.68 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादुरपुरा तहसील विराटनगर के कब्जे-काश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का है, जिसका साक्ष्य-सबूत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निस्तारण होना अभी शेष है, ऐसेमें पक्षकारान के मध्य अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो, के मध्यनजर विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को दोनों पक्षों द्वारा कायम रखा जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। चूँकि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का तथ्यों के परिक्षण उपरान्त अन्तिम निस्तारण होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है, ऐसेमें प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे शीघ्रता से दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विस्तृत विवेचन करते हुये व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भेरु राम बनाम रतन लाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तब तक न्यायहित में उभयपक्ष विवादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |